मो० :

कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत "पिछलीहार"

विकास खण्ड–नग्गर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

****

उपस्थिति 217/425 ग्राम सभा में पारित

अध्यक्षता प्रधान श्री मोह जयमणी

पृष्ठाँकन

प्रस्ताव संख्या 4

दिनांक 02/10/2015

विषय :– हंमशू–(I) 2 M/W हाइड्रल पॉबर प्रोजेक्ट को अनापति के सन्दर्भ में प्रस्ताव।

ग्रांम सभा बैठक में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत पिछलीहार के अर्न्तगत आने वाला क्षेत्र पराड़ी नाला व तुन्दी नाला जो कि कुछ दूरी पर पराड़ी नालां में ही संयुक्त रूप से मिलता है, जिसमें उक्त लिखित प्रोजैक्ट कम्पनी विद्युत सम्बन्धी **2 M/W** पॉबर प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहती है जिस के लिए दस्तावेज औपचारिकताएं हेतू पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम सभा में (NOC) अनापति मांग का विषय ग्राम सभा के समक्ष रखा जिसमें गहन विचार विमर्श एवं चर्चा हुई। ग्राम सभा पिछलीहार ने प्रोजैक्ट के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष अपनी मुख्य मांगे रखी व मांगों एवं शर्तों की अनुपालना पर सहमति उपरान्त ही अनापति प्रमाण देने में सहमत है तथा वन अधिकार नियम 2006 के तहत FRA को भी अपनी सहमती प्रदान की है। इसके साथ–2 प्रोजैक्ट के निर्माण कार्य हेतू आवश्यक सामग्री एवं उपकरण ढुलाई से सम्बन्धित रोप–वे लगाए जाने तथा विस्फोटक सामग्री प्रयोग व रखने हेतू ग्रांम सभा को कोई आपति नहीं है। वशर्ते यह कि रख रखाव व उपयोग व्यवस्था पूर्ण हों। ग्रांम सभा की मांग एवं शर्तो को मानने का इकरारनामां लिखित रूप में होने पर ही अनापति को ग्रांम सभा मान्यता प्रदान करती है।

ग्रांम सभा की शर्ते एवं मांगें निम्न प्रकार से हैः–

1. गांव दराल से खोणी तक पक्का रास्ता
2. नराईडी से हलाणी बेहड़ तक पक्का रास्ता व नाली इत्यादि
3. सवा ईच की पेय जल सप्लाई शुपालू नाग से पराड़ी दराल तक
4. प्रोजैक्ट निर्माण में निकलने वाले मलवे की डम्पिंग साइट की उचित व्यवस्था
5. प्रोजैक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार
6. किसी मानवाधिकार का हनन न हो, व सिंचाई सम्बन्धी चण्डी कुहल में पानी सुचारू रूप से निरन्तर चलता रहे।

ग्रांम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त लिखित शर्तो की यदि अनुपालना नहीं हुई तो ग्रांम सभा पिछलीहार प्रोजैक्ट के निर्माण कार्य को बन्द करने का पूर्ण अधिकार रखेगी।

अतः (NOC) अनापति अनापति प्रमाण जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव असल है।

Hamshu (1) 2M/W Hydel Power
Vill. Bulang
P.O. Fozal
Teh. & Distt. Kullu (H.P.)

Secretary
Gram Panchayat Pichhlihar
Dev. Block Naggar Kullu (H.P.)

मो०: 98168-95333, 88945-78203

कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत "पिछलीहार"

विकास खण्ड नगर, तहसील व ज़िला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

उपस्थिति 217/425 .... पृष्ठाँकन ....

अध्यक्षता प्रधान श्री कालू राम .... प्रस्ताव संख्या 4.

दिनाँक 02/10/015

विषय :- ह्रामसू-I हाइड्रल पॉवर प्रोजेक्ट को अनापत्ति के सन्दर्भ में प्रस्ताव :

ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत पिछलीहार के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र पराड़ी नाला व तुन्दी नाला जो कि कुछ दूरी पर पराड़ी नाला में ही संयुक्त रूप से मिलता है जिस में उक्त लिखित प्रोजेक्ट कम्पनी विद्युत सम्बन्धी 2 मेघावाट पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहती है जिस के लिए दस्तावेज औपचारिकताएं हेतु पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम सभा में (NOC) अनापत्ति माँग का विषय ग्राम सभा के समक्ष रखा, जिस में गहन विचार विमर्श एवं चर्चा हुई। ग्राम सभा पिछलीहार ने प्रोजेक्ट के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष अपनी मुख्य माँगे रखी व माँगों एवं शर्तों की अनुपालना पर सहमति उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण देने में सहमत है। इस के साथ-2 प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण ढुलाई से सम्बन्धित रोप-वे लगाए जाने तथा विस्फोटक सामग्री प्रयोग व रखने हेतु ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते यह है कि रख-रखाव व उपयोग व्यवस्था पूर्ण हो। ग्राम सभा की माँग एवं शर्तों को मानने का इकरारनामा लिखित रूप में होने पर ही अनापत्ति को ग्राम सभा मान्यता प्रदान करती है। ग्राम सभा की शर्ते एवं माँगे निम्न प्रकार से है।

1. गाँव दराल से रवाणी पाँदे तक पक्का रास्ता
2. नरांडुडी से छलाणी बेहड़ तक पक्का रास्ता
3. निर्माण पक्का रास्ता एवं नाली सड़क से गाँव पराड़ी तक
4. सवा इंच पेप जल सप्लाई शुमालू नाग से पराड़ी दराल तक
5. प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में निकलने वाले मलबे हेतु डम्पिंग साइट की उचित व्यवस्था हो।
6. प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार
7. किसी मानवाधिकार का हनन न हो व सिंचाई सम्बन्धी चर्डी कुहल में पानी निरन्तर सुचारु रूप से चलता रहे।

ग्राम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त लिखित शर्तों की यदि अनुपालना नहीं हुई तो ग्राम सभा पिछलीहार प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को बन्द करने का पूर्ण अधिकार रखेगी। अतः (NOC) अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाता है।

[signature]

Secretary
Gram Panchayat Pichhlihar